भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 101
सोमवार, 04 दिसंबर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)

सीएमआईई से डेटा

101. श्री रवनीत सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार अक्तूबर, 2023 में देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर दो वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में बेरोजगारी दर में तेजी से हो रही वृद्धि के कारणों का कोई आकलन किया है;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश में बढ़ती बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): कई निजी कंपनियां/निकाय/अनुसंधान संगठन अपनी कार्यप्रणाली के आधार पर अलग-अलग सर्वेक्षण करते हैं, सीएमआईई उनमें से एक है। रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त होता है। सर्वेक्षण अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

उपलब्ध नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार हैः

बेरोजगारी दर (% में)			
वर्ष	**ग्रामीण**	**शहरी**	**अखिल भारत**
2020-21	3.3	6.7	4.2
2021-22	3.2	6.3	4.1
2022-23	2.4	5.4	3.2

स्रोतः पीएलएफएस, एमओएसपीआई

यह आंकड़ें दर्शाते हैं कि पिछले वर्षों से देश में, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है।

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) **अनुबंध** में है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों सहित देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

ढांचागत और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष, 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में की गई यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के प्रयासों का केंद्र बिन्दु है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए इस पैकेज में, विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों को सृजित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 23.09.2023 तक, इस योजना के तहत 60.47 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत दिनांक 23.11.2023 तक, 78.08 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। दिनांक 17.11.2023 तक इस योजना के तहत 44.41 करोड़ से अधिक ऋण खाते स्वीकृत किए जा चुके हैं।

सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ-साथ, युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 04.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 101 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) का ब्यौरा (% में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2020-21			2021-22			2022-23		
		ग्रामीण	शहरी	अखिल भारत	ग्रामीण	शहरी	अखिल भारत	ग्रामीण	शहरी	अखिल भारत
1	आंध्र प्रदेश	3.3	6.0	4.1	3.5	6.3	4.2	3.3	6.5	4.1
2	अरुणाचल प्रदेश	4.8	10.6	5.7	6.9	12.1	7.7	3.9	10.9	4.8
3	असम	3.6	7.8	4.1	3.2	9.4	3.9	1.5	6.1	1.7
4	बिहार	4.1	9.6	4.6	5.5	10.3	5.9	3.6	7.7	3.9
5	छत्तीसगढ	1.8	6.1	2.5	1.5	7.2	2.4	1.4	7.8	2.4
6	दिल्ली	5.8	6.3	6.3	3.9	5.3	5.3	10.2	1.7	1.9
7	गोवा	10.0	10.9	10.5	12.5	11.7	12.0	11.3	8.7	9.7
8	गुजरात	0.8	4.6	2.2	1.5	2.8	2.0	1.4	2.2	1.7
9	हरियाणा	5.4	8.1	6.3	9.0	8.9	9.0	5.8	6.5	6.1
10	हिमाचल प्रदेश	3.0	6.9	3.3	3.6	8.7	4.0	3.5	14.1	4.3
11	झारखंड	1.9	9.3	3.1	1.2	6.1	2.0	0.9	6.3	1.7
12	कर्नाटक	2.1	3.8	2.7	2.3	5.0	3.2	1.5	4.2	2.4
13	केरल	8.9	11.6	10.1	9.0	10.3	9.6	6.5	7.6	7.0
14	मध्य प्रदेश	1.1	4.7	1.9	1.3	4.9	2.1	0.8	4.8	1.6
15	महाराष्ट्र	2.2	6.5	3.7	2.5	5.0	3.5	2.2	4.6	3.1
16	मणिपुर	3.8	9.9	5.6	9.5	7.6	9.0	4.5	5.3	4.7
17	मेघालय	0.7	7.1	1.7	1.5	8.9	2.6	5.0	12.3	6.0
18	मिजोरम	2.7	4.4	3.5	4.0	7.1	5.4	1.2	3.5	2.2
19	नागालैंड	17.7	24.0	19.2	7.5	14.6	9.1	2.9	8.6	4.3
20	ओडिशा	4.9	7.8	5.3	5.4	10.5	6.0	3.6	6.2	3.9
21	पंजाब	6.3	6.1	6.2	6.6	6.1	6.4	6.2	6.0	6.1
22	राजस्थान	3.5	10.2	4.7	3.0	10.8	4.7	3.4	8.5	4.4
23	सिक्किम	0.5	3.0	1.1	1.3	3.0	1.6	2.2	2.2	2.2
24	तमिलनाडु	4.8	5.8	5.2	4.2	5.7	4.8	3.8	5.1	4.3
25	तेलंगाना	3.4	7.7	4.9	3.1	6.9	4.2	2.8	7.8	4.4
26	त्रिपुरा	2.9	4.6	3.2	2.7	4.3	3.0	1.1	3.0	1.4
27	उत्तराखंड	5.5	10.5	6.9	7.0	10.6	7.8	3.9	6.6	4.5
28	उत्तर प्रदेश	3.3	8.0	4.2	2.1	6.7	2.9	1.5	6.5	2.4
29	पश्चिम बंगाल	3.2	4.4	3.5	3.1	4.4	3.4	1.5	3.8	2.2
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7.9	10.6	9.1	5.9	9.9	7.8	6.6	14.0	9.7
31	चंडीगढ़	1.5	7.4	7.1	5.0	6.3	6.3	3.2	4.0	4.0
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	5.2	3.4	4.2	5.7	4.7	5.2	4.1	1.4	2.5
33	जम्मू एवं कश्मीर	4.3	13.3	5.9	3.7	12.9	5.2	3.4	10.2	4.4
34	लद्दाख	1.9	8.6	2.9	2.7	9.7	3.3	5.7	10.8	6.1
35	लक्षद्वीप	3.2	16.4	13.4	6.6	21.1	17.2	5.6	12.8	11.1
36	पुडुचेरी	6.0	7.2	6.7	7.5	4.5	5.8	5.9	5.4	5.6
अखिल भारत		**3.3**	**6.7**	**4.2**	**3.2**	**6.3**	**4.1**	**2.4**	**5.4**	**3.2**

स्रोत: पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट, एमओएसपीआई